न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 9/2020

उनवान

रामकिशन वगै0।

बनाम

श्यामलाल वगै0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 जा0दी0

उपस्थिति :—

वादी/प्रार्थीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन।

प्रतिवादी/अप्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह।

आदेश दिनांक 28.02.2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित।

2. संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि उपरोक्त उवान के वाद पत्र में दिनांक 03.06.2019 को माननीय न्यायालय में तारीख पेशी वास्ते साक्ष्य वादीगण हेतु नियत थी। उक्त वाद दिनांक 03.06.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वादीगण को हिदायत दे रखी थी कि आवश्यकता पडने पर सूचना करके तारीख पेशी पर बुला लिया जावेगा लेकिन दिनांक 03.06.2019 को वादी के अधिवक्ता न्यायालय में पैरवी करने राजस्व मण्डल अजमेर गये और वादीगण को भी तारीख पेशी बाबत सूचना नहीं कर सके थे इस वजह से उक्त उनवान का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। वादीगण लॉक डाउन हटने पर दिनांक 18.11.2020 को उक्त उनवान के वाद पत्र में अग्रिम कार्यवाही की जानकारी लेने अपने अधिवक्ता के पास आने पर वादीगण को उक्त वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। वादीगण ने उक्त गलती जानबूझ कर नहीं की थी जारकारी के अभाव में वादीगण माननीय न्यायालय में हाजिर नहीं आ सके थे। वादीगण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2019 को निरस्त करवाकर उक्त वाद को पुनः अवसर चाहते है। वादीगण को उक्त वाद दिनांक 03.06.2019 को खारिज हो जो की जानकारी दिनांक 18.11.2020 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर हुई है। इस वजह से जानकारी दिनांक 03.06.2019 से दिनांक 18.11.2020 की अवधि को कन्डोन फरमाते हुये वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि मध्य समझा जावे। उक्त प्रार्थना पत्र वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 एवं धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन करते है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2020 को खारिज फरमाया जाकर वादीगण का वाद पुनः नम्बर पर लिया जाकर वादीगण को पुनः न्याय हित में सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई।

3. अप्रार्थीगण/प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में बिल्कुल मिथ्या एवं मनगढंत अंकित किये जाने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मिथ्या अंकित किये जाने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 का जवाब वक्त बहस मौखिक रूप से दिया जावेगा। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई प्रार्थना अस्वीकार है, कानूनन उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

—:विशेष कथनः—

उपरोक्त उनवानी प्रकरण सन 2012 में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया था तथा प्रकरण में दिनांक 4.01.2017 को तनकी बना दी गई थी तथा दिनांक 09.03.2017 से प्रकरण साक्ष्य वादी में चला आ रहा था। वादी ने उक्त प्रकरण में मार्च 2017 से जून 2019 तक वादी को कई बार अवसर दिए जाने के पश्चात भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। उसके पश्चात दिनांक 03.06.2019 को वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया। वादी ने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर वाद को अदम हाजिरी अदम पैरवी खारिज करवा लिया। माननीय न्यायालय द्वारा वादी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात भी वादी लापरवाह एवं उदासीन रहे है। प्रकरण खारिज हो के बाद लगभग 1.5 वर्ष तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकने का तथा देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4. दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस को सुना। उपलब्ध रिकार्ड/ऑडरशीट का अवलोकन किया गया।

5. मूल पत्रावली की ऑडर शीट के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण/वादीगण को दिनांक 04.01.2017 , 09.03.2017, 20.06.2017, 14.09.2017, 09.11.2017, 30.11.2017, 17.01.2018, 07.03.2018, 11.04.2018, 20.06.2018, 27.09.2018, 22.11.2018, 20.12.2018, 04.02.2019, 11.04.2019, एवं 03.06.2019 कुल 13 अवसर साक्ष्य पर दिये गये थे लेकिन प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा बिना किसी उचित कारण से अनुपस्थित रहे। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 में अपनी अनुपस्थिति के संबंध में कोई भी good and reasonable cause प्रदर्शित नहीं किया है। प्रार्थीगण/वादीगण का बिना किसी उचित कारण के बार बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहना उनकी गम्भीर लापरवाही को प्रदर्शित करती है।

6. प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू, जिला बारां